मानननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प, उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी

निगरानी/देवास/प्र.क्र./2017/4418

बाला पिता भैराजी बलाई, निवासी–
ग्राम मानकुण्ड तहसील हाटपिपलिया
जिला देवास (म.प्र.)

——————प्रार्थी

विरूद्ध

1– श्रीमती कलाबाई पति चेनाजी बलाई,

2– चेना पिता मदमल बलाई, निवासीगण–
ग्राम मानकुण्ड तहसील हाटपिपलिया
जिला देवास (म.प्र.)

———प्रतिप्रार्थीगण

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील हाटपिपलिया जिला देवास (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 4 / अ–13 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13 / 09 / 2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / देवास / भू.रा. / 2017 / 4418

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 13–9–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक ने संशोधन आवेदन पत्र पांच वर्ष बाद, तब जबकि प्रकरण राजस्व मण्डल तक चल चुका है, पेश किया है । इतने लम्बे समय बाद सर्वे नम्बर में परिवर्तन प्रकरण को सारभूत रूप से परिवर्तित करता है । अतः तहसीलदार द्वारा विधिसंगत आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, इसलिए तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	